तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 25 /2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
15—7—2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र श्री गुलाबराम माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स कृष्णा घी भण्ड़ार, सब्जी मण्डी मार्केट, शिवगंज, जिला— सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19—10—2024 को मैसर्स कृष्णा घी भण्ड़ार, सब्जी मण्डी मार्केट, शिवगंज, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता रमेश कुमार पुत्र श्री गुलाबराम माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-2513, निदेशक, रेफरल फूड लेब्रोरेटरी, मैसूर के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र क्रमांक:1551F/FSSA/2024 दिनांक 21—2—2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 08—7—2025 को प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को दिनांक 08—7—2025 को ही सुना गया, जिन्होनें अनुरोध किया कि यह उनका प्रथम अपराध है एवं उन्होनें घी में कोई मिलावट नही की है। भविष्य में अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय नही करेगा। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 19—10—2024 को मैसर्स कृष्णा घी भण्ड़ार, सब्जी मण्डी मार्केट, शिवगंज, जिला— सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स कृष्णा घी भण्ड़ार, सब्जी मण्डी मार्केट, शिवगंज, जिला— सिरोही में प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र श्री गुलाबराम माली से मैसर्स कृष्णा घी भण्ड़ार, सब्जी मार्केट, शिवगंज की दुकान के अन्दर स्टील की बरनी में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए 10 किलोग्राम खाद्य पदार्थ घी में से एक किलोग्राम खाद्य पदार्थ घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-2513 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1515/Act/2024/1567 दिनांक 30—10—2024 में असुरक्षित खाद्य (unsafe food) पाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी के नमूनें के द्वितीय भाग के रेफरल लेब से पुनः जांच करवाने हेतु अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-2513 के नमूनें के द्वितीय भाग ......लगातार	

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 25 /2025**	न्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	को विश्लेषण जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर को भिजवाया गया। प्रकरण में खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-2513 की निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर से प्राप्त विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र संख्याः1551F/FSSA/2024 दिनांक 21–2–2025 में अनुसार खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-2513, अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र श्री गुलाबराम माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स कृष्णा घी भण्ड़ार, सब्जी मण्डी मार्केट, शिवगंज, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (नमूना संख्या S-2513) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (नमूना संख्या S-2513) के विक्रय हेतु प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र श्री गुलाबराम माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स कृष्णा घी भण्ड़ार, सब्जी मण्डी मार्केट, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र गुलाबराम जी माली को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 18–8–2025 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)